रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232325
CG-DL-E-01012022-232325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 737] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 911(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, अवर श्रेणी लिपिक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति—** जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	60* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900-63200 रू./-)	अचयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक औरअन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच। (अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में, यह 18 वर्ष और 27 वर्ष की आयु के बीच होगी)। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्दों के लिए पांच की -डिप्रेशन के औसत पर 10500 की –डिप्रेशन प्रति घंटे या 9000 की –डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट)। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन	हां, स्तंभ (11) के अधीन उपदर्शित विस्तार तक।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। **टिप्पण**: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और; (ii) तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स में स्तर –I (18000-56900 रू.) में समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित रीति से होगी:

(i) दस प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशासन या स्थापना या बजट अथवा लेखा के क्षेत्र में चार सप्ताह के सेवाकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और ;

(ii) बीस प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : परीक्षा के लिए सामान्य अभ्यथियों की दशा में पात्रता की अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष है और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पचास वर्ष तक है।

टिप्पण 1 : विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा ;

भाग I: संक्षेपण लेखन

भाग II: कार्यालय प्रक्रिया, नियम और वित्तीय नियम इत्यादि की जानकारी (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)।

भाग III: सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

भाग IV : अंग्रेजी या हिंदी टंकण

टिप्पण 2 : यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा अर्हता प्राप्त कर लेते है तो, ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।

टिप्पण 3 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने

ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो – अध्यक्ष ; 2. उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अधीक्षण खनन भूवैज्ञानिक, भारतीय खान ब्यूरो – अध्यक्ष ; 2. खनन अर्थशास्त्री (आसूचना), भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 22/1/2021- खान III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021.

G.S.R. 911(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Lower Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lower Division Clerk.	60*(2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 years and 25 years of age. (In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years of age). (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection	**Essential:** (i) 12^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 key depressions per hour or 9000 key depressions per hour respectively on an average of five key depressions for each word). Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualifications	Yes, to the extent indicated under column (11).	Two years for direct recruitment. **Note**: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) Seventy per cent. by direct recruitment and; (ii) Thirty per cent. by promotion.

Commission.	regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or Staff Selection commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Promotion : Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in the following manner ; (i) Ten per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis with three years' regular service in the grade and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of administration or establishment or budget or accounts conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute and; (ii) Twenty per cent. on the basis of departmental qualifying examination who possess 12th class pass from a recognised Board and have rendered three years' regular service in the grade. **Note**: The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years in case of general candidates and up to the age of fifty years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. **Note 1** : The syllabus for the departmental examination shall be as under ; Part I : Précis writing; Part II: Knowledge of Office Procedure, Rules and Financial Rules etc. (Objective type). Part III: General knowledge (Objective type). Part IV: English or Hindi typing. **Note 2**: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. **Note 3** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – Chairman; 2. Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines – Member; 3. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Superintending Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Chairman; 2. Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines – Member; 3. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Not applicable.

[F. No.22/1/2021-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.01 16:14:11 +05'30'